695
10/12/12

खण्ड-8 संख्या-11

दशम
बिहार विधान-सभा

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

वृहस्पतिवार तिथि 9 जुलाई, 1992 ई०।

सत्यमेव जयते

रांची के ही स्थायी निवासी डी०एस०पी० अमीरजीत बलिहार जो खूंटी के प्रभारी हैं, साहुकारों से मिले हुए है। एकतरफा साहुकारों की मदद कर रहे हैं तथा विधायक राजेन्द्र सिंह के लोगों को ही तंग कर रहे हैं।

हमारी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री जी को सारी घटना से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री जी ने अपराध अनुसंधान विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कराने का आदेश भी दिया था फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद डी०एस०पी० मनमानी एकतरफा कार्रवाई जारी रखे हुए है। अत: अध्यक्ष महोदय , हमलोग मांग करते हैं कि रांची जिला के रहने वाले डी०एस०पी० पर कानूनी कार्रवाई की जाय और उनको वहां से ट्रांसफर किया जाय, जो जघन्य घटना घटी है उसकी जांच सदन की कमिटी से कराई जाय और विधायक राजेन्द्र सिंह की जान बचाने के लिए, उनकी विशेष हिफाजत के लिए सिक्यूरिटी गार्ड की व्यवस्था की जाय।

(2) असामाजिक तत्वों द्वारा गरीबों के घर को जलाया जाना

श्री बृजमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद मुफशिल थाने के रूखुआ ग्राम में दिनांक 8.7.92 को 8 बजे सुबह असामाजिक तत्वों के अवैध संगठन के लोगों ने गांव के 12-15 गरीबों के घरों को जला दिया और घर-मकान को पीट-पीट कर गिरा दिया। इन जलाये गये घरों मे मुस्लिम जाति के भाई लोगों के 3 घर, कहारों के 5 घर, हरिजनों के 4 घर और अन्य पिछड़ी जातियों के 3-4 घर शामिल हैं।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री अजित सरकार एवं सी०पी०एम० के अन्य सदस्यगण सदन के बीच में चले आये तथा माननीय सदस्य, श्री अजित सरकार प्रतिवेदक के टेबुल को ढ़केल कर गिरा दिये।)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य,श्री रामदेव वर्मा जी, श्री अजीत सरकार जी जो कर रहे हैं, क्या ये ठीक कर रहे हैं? इन्हे अपनी सीट पर ले जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं आपलोंगों की बात को नहीं सुनूंगा। आपलोग अपनी सीट पर जाइये।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री अजित सरकार प्रतिवेदक के टेबुल पर खड़े हो गये।)

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम इसकी जांच करवा लेंगे।

श्री ब्रजमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, हरिजनों के सुअर-बकरी जानवर भी अग्नि की लपटों में जल गये। खाने-पीने के सामान सहित रहने के सारे सामान जलकर राख हो गये। जानवरों के साथ-साथ तीन महिलायें घायल,पुरूष-4 जख्मी और अन्य कई बच्चे जले हुये हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में दो अवैध संगठन चल रहे हैं जिसमें एक एक एम०सी०सी० समर्थक हैं ओर दूसरे फारवर्ड ब्लाक समर्थक हैं। दोनों के नेतृत्व मुस्लिम जाति के क्रमशः गफ्फर मियां और बशीर मियां कर रहे हैं। एम०सी०सी० समर्थको पर फारवर्ड ब्लाक समर्थक तत्वों ने हमला कर घर जलाया। पुलिस ने छापामारी कर मस्जिद में छिपे फारवर्ड ब्लाक समर्थक लोगों को गिरफ्तार किया और 6

देशी रिवाल्वर,2 देशी बन्दूक, गोलियां (जिन्दी), नुकीली तीरें मस्जिद से बरामद की जो खतरनाक तैयारी की साजिश दीखती है। गरीब हरिजन, मुस्लिम, पिछड़ी जाति के लोगों की वर्बादी अवैध समाजिक संगठन के लोगों द्वारा को गयी जो सरकार की विधि -व्यवस्था की गिरावट की निशानी है।

औरंगाबाद जिले में ऐसी घटनाये उग्रबादी तत्वों के द्वारा लगातार होती जा रही है। पूर्व में बड़े-बड़े नरसंहार दरमिया, परसडीह, दलेलचक, बघौरा, छेछानी कांड की घटनायें अभी तक लोगों के दिल -दिमाग में छाये हुये हैं और हाल ही में छाली दोहर तथा चिल्ली घाटी में क्रमशः दो और छः जनों की हत्यायें ताजी हैं। अस्तु इस प्रकार की घटनाओं से भविष्य के बड़े नरसंहार की आंशंका दिखती है। सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रबंध करे और जलाये घर वालों को उनका मकान उठाकर पूरा-पूरा मुआवजा द। सरकार की ऐसी घटनाओं को रोकने में विफलता के लिये सदन का कार्य स्थगित हो।

श्री रामाश्रय सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज यह पूरा सदन इस बात के लिए क्षुब्ध है कि एक मेम्बर के लाईफ पर खतरा होता है, वह जान बचाने के लिए तीन-तीन मील तक भागते हैं, लोगों के घरों में छूपते हैं, बाबजूद इसके, अपराधकर्मी उनको नहीं बख्शते हैं। सबसे पहले से अपराधकर्मी सिक्यूरिटी गार्ड का फरसा से हाथ काटते हैं, गर्दन काटते हैं और जब दूसरे लोग बचाव में जाते हैं तो उनको भी काटते हैं। फिर भी सरकार नहीं सुनती है। वहां लोकल डी॰एस॰पी॰ आतंक मचाये हुए है। इसके बाबजूद आपका संरक्षण नहीं मिल रहा है, इससे मेंबर एजीटेटेड होंगे कि नहीं? कामरेड

अजीत सरकार ने जो भावना व्यक्त की है और हमारे जो दूसरे मानीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। यहां लोगों के सार्वजनिक जीवन के निर्वाह का सवाल है। हमारे मेम्बर सार्वजनिक जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते हैं? आप वहां प्रोटेक्सन दीजिए।

अध्यक्ष : हमने मंत्री जी से पूछा और उन्होने कहा कि अभी फौरन इस मामले को देखवा लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय सिंह : अभी यह मामला आपके अधीन है, आपके कोर्ट में है। इस पर अभी आपको निर्णय करना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति । इस सदन में तो अभी यह मामला आया है न?

श्री त्रिवेणी तिवारी : अध्यक्ष महोदय, सरकार को निर्देश दिया जाए कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में और माननीय सदस्यों की सुरक्षा के बारे में सदन को सूचित किया जाए, सरकार सदन में बयान दे। आप यह निर्देश सरकार को देने की कृपा करें।

श्री भगवान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि सरकार यह धोषना करे कि वहां के डी०एस०पी० को तुरत स्थानांतरित किया जा रहा है। रोज-ब-रोज विधायकों पर हमला हो रहा है। मैं मांग करता हूं कि इस घटना की जांच के लिएसदन की एक

कमिठी बना दी जाए।

श्री स्टीफेन मरांडी : अध्यक्ष महोदय, जिस माननीय सदस्य के बारे में चर्चा हो रही है, वे अभी सदन में प्रस्तुत हैं, उनका सेल्फ -स्टेटमेंट होना चाहिए। वे यहां पर मौजूद हैं, उनके बारे में बात उठायी गयी है, उनका बयान आना चाहिए।

(इस अवसर पर आई॰पी॰एफ॰ एवं सी॰पी॰एम॰ के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र : अध्यक्ष महोदय । यह घटना 10 अप्रैल की घटी है। आज जिस तरह से विधायकगण अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस मामले की जांच के लिए सदन की एक कमिटी बना दी जाए क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर और अनुचित है। जिस तरह से घटना घटी , अभी तक इस घटना के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

श्री बासुदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वहां के डी॰ एस॰ पी॰ को वहां से हटाया जाए।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र : अध्यक्ष महोदय, अगर सभी दलों एवं सदन की भावना है तो सदन की कमिटी बनाने में क्या एतराज है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति। कृपया अपनी अपनी सीटं पर बैठ जांय।

श्री रविन्द्र चरण यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिनके बारे में चर्चा

हो रही है, वे सदन में उपस्थित हैं। वे अपनी घटना की चर्चा स्वयं करें, इसकी अनुमति दी जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति ,शांति। श्री राजेन्द्र सिंह, माननीय विधायक जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना वाकया बयान करें।

श्री राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मिटींग करने के लिए पटना से जा रहा था। रास्ते में मूरी में ट्रेन से उतरा, वहां पर मेरी जीप लगी हुई थी। जीप से सोवाहातू होते हुए, गुंडु थाना होते हुए, अड़की थाना होते हुए रांची जा रहा था, रास्ते में डोरिया गांव के पहले मुझपर आक्रमण किया गया, जीप रोक ली गयी, मुझपर गोली, बम चलाया गया, पत्थर फेंके गये। मैं वहां से भागने लगा, भागते भागते मैं करीब तीन किलोमिटर तक गया और रायकेरा गांव में एक आदिवासी, श्री डेगो मुंडा के घर में घूस गया। डेगो मुंडा के घर के बाहर में गोशाला है, उस गोशाला में मेरा वॉडीं गार्ड, गोपाल मुंडा छिप गया लेकिन उसकी उस गोशाला में काट दिया गया। उससे कुछ ही दूरी पर धन सिंह के आंगन में हमारे साथी कांडे मुंडा को काट दिया गया। कुछ देर के बाद मैं वहां से चला गया, उसके बाद कुछ लोग जमा हुए, जमा होने के बाद डोरिया गांव पर आक्रमण कर दिया। मुझे इसका पता नहीं था। जिस रास्ते से मैं भागकर पैदल आया था, उस रास्ते से पैदल आने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। बाद में पता चला कि इस तरह का हुआ है। यह कार्रवाई किसी षडयंत्र के तहत की जा रही है। चुनाव के पूर्व इस तरह का षडयंत्र करके मुझे

जान से मारना था, मेरे मारे जाने से दूसरी पार्टी की जीत होती। अभी षडयंत्र चल रहा है, यह सब वहाँ के डी०एस०पी० करा रहे हैं। वहां के डी०एस०पी० राची के ही रहने वाले हैं फिर भी वे रांची में पदस्थापित हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको वहां से शीघ्र हटाया जाय और मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय। हमारे बाडी गार्ड को काट कर मार दिया गया लेकिन आजतक उसके परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। गोपाल मुंडा जो हमारा वाडी गार्ड था, उसको अपनी डियूटी पर मार दिया गया। डियूटी पर मारे जाने के बाद किसी भी लाश को कोफिन वॉक्स में उसके घर पर भेजा जाता है लेकिन हमारे बाडी गार्ड का लाश कपड़े में लपेट कर उसके घर पर पहुंचा दिया गया। डि्यूटी पर मारे जाने की सलामी देकर सम्मान किये जाने की परिपाटी है लेकिन इस परिपाटी को भी नहीं निभाया गया। इसी तरह से कांडे मुंडा के लाश को पोस्टमार्टम होने के बाद भी, उसके घर वालों के मांगने पर नहीं दिया गया। इस दतह से वहां पर हंगामा चल रहा है, इसलिए मैं आपका घ्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और मांग करता हूं कि इसकी जांच के लिए सदन की एक कमिटी बना दी जाए।

विशेष समिति गठन की घोषणा

अध्यक्ष : मैं सदनकी एक कमिटी बना दूंगा।

श्री महेन्द्र भगत "आजाद": अध्यक्ष महोदय, डी०एस०पी० को वहां से तत्काल हटा दीजिए।